बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

आदेश

संख्या–08–ग–आ०वि०स्था०–45 / 2023 2350 / पटना दिनांक 23.06.26

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–515, दिनांक–21.05.2026 के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं०–286, सह–पठित ज्ञापांक–1968, दिनांक–01.06.2026 द्वारा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक / शिक्षकों की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर विभाग को प्राप्त होने के उपरांत संबंधितों को बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, किशनगंज एवं दरभंगा में योगदान करने हेतु आदेश निर्गत किया गया है।

उक्त आदेश की कंडिका–01 के क्रम सं०–04, 05, 13 एवं 24 पर उल्लेखित शिक्षक क्रमशः सैयर नाजिर हुसैन, तनवीर आलम, मो० रईस आलम एवं सोनी कुमारी की सेवा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचनाओं यथा–बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 (अधिसूचना सं०–11 / नि०–01–02 / 2023–743 दिनांक–10.04.2023) (समय–समय पर यथा संशोधित) के अधीन नहीं पाई गई है। अतएव सम्यक विचारोपरान्त प्रतिनियुक्ति के आधार पर शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त शिक्षकों यथा–सैयद नाजिर हुसैन, तनवीर आलम, मो० रईस आलम एवं सोनी कुमारी की सेवा को समाप्त किया जाता है।

2. उक्त विभागीय आदेश की शेष कंडिका यथावत रहेगी।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –

(डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी)
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः–अ०सं०क०–08–ग–आ०वि० (स्था०)–45 / 2023 2341 / पटना, दिनांक 23.06.2026

प्रतिलिपि :– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं०–515, दिनांक– 21.05.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, किशनगंज एवं दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, किशनगंज एवं दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि प्रधानाध्यापक / शिक्षकों के योगदान प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– प्रधानाध्यापक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, किशनगंज एवं दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित प्रधानाध्यापक / उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव–सह–निदेशक 23/6